

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ1(स)(28)स्था./डीटीए/2589-2592

दिनांक : 02/05/2022

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(स)(5)स्था./डीटीए/2103-05 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग के जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर किसी कर्मचारी को उपरोक्त कार्यालय आदेश में उल्लेखित वरिष्ठता अथवा अन्य किसी तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित अभ्यावेदन, आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए कार्यालय आदेश जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में आदिनांक तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यालय आदेश क्रमांक 2103-05 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावे।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक : 02/05/2022

क्रमांक: एफ1(स)(28)स्था./डीटीए/2589-2592

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावे।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री/श्रीमती पद.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)